भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2246
दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

2246. डॉ. थोल तिरूमावलवनः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 28 मार्च, 2022 को मूल्य नियंत्रण के अधीन आने वाली अनुसूचित औषधियों के मूल्य में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के 10.7 प्रतिशत अनुमोदन के अनुसार कीमतों में वृद्धि की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन औषधियों के मूल्यों में वृद्धि की गई है;

(ङ) क्या देश में पीएमबीजेपी के अंतर्गत स्थापित जन औषधि केन्द्रों में औषधियों के लिए भी अनुसूचित औषधियों के मूल्य में वृद्धि लागू है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने इस वृद्धि के बाद पीएमबीजेपी के अंतर्गत जन औषधि केन्द्रों में बेची जाने वाली औषधियों के मूल्य को बनाए रखने के लिए उपाय किए हैं/करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क) से (घ): औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के प्रावधानों के अनुसार, औषध विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा अनुसूचित फॉर्मूलेशन (ब्रांडेड या जेनेरिक) का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जाता है। डीपीसीओ, 2013

के प्रावधानों के अनुसार, विगत वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर अनुसूचित दवाओं के अधिकतम मूल्य में वार्षिक संशोधन की अनुमति होती है।

आधार वर्ष 2011-12 के साथ सभी वस्तुओं की डब्ल्यूपीआई में वार्षिक परिवर्तन, वर्ष 2020 की इसी अवधि की तुलना में कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान 10.76607% बनता है। तदनुसार दिनांक 01.04.2022 से प्रभावी डब्ल्यूपीआई के आधार पर 898 अनुसूचित फॉर्मूलेशन (जिनमें से एनएलईएम 2015 के अंतर्गत निर्धारित 889 अनुसूचित फॉर्मूलेशन) के अधिकतम मूल्य को संशोधित किया गया था। एनपीपीए द्वारा निर्धारित दवाओं के मूल्यों का विवरण एनपीपीए की वेबसाइट अर्थात nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है। डब्ल्यूपीआई वृद्धि केवल अधिकतम अनुमत वृद्धि है, जिसका लाभ विनिर्माताओं द्वारा प्रतिस्पर्धी बाजारों और वाणिज्यिक विचारों के आधार पर उठाया जा सकता है या नहीं भी उठाया जा सकता है।

(ङ) और (च): प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) नामक समर्पित आउटलेट खोले गए हैं। अनुसूचित दवाओं (जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बेचे जाने वाले) के सभी विनिर्माताओं को समय-समय पर संशोधित मूल्य के अनुसार इसके भीतर या उच्चतम मूल्य पर बेचना होगा। हालांकि, भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) यह सुनिश्चित करता है कि केंद्रों के माध्यम से बेची जाने वाली दवाओं क मूल्य खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं की तुलना में कम से कम 50% कम हो।

*****